

127591 - अगर दिवालिया का धन उस के ऋण के भुगतान के लिए पर्याप्त न हो तो शेष राशि उस के ऊपर कर्ज है, दिवालियापन के कारण वह समाप्त नहीं होगा

प्रश्न

अमेरिकी कानून में जिस आदमी पर ऋण होता है और वह उसके भुगतान में असमर्थ होता है तो उसे अदालत की तरफ से एक ज्ञापन मिलता है जिसे दिवालियापन का ज्ञापन कहा जाता है (यहाँ तक कि यदि ये ऋण जो उन के मालिकों के लिए हैं सूदखोरी के ही क्यों न हों), इस ज्ञापन में कर्जदार उन सभी ऋणों को लिखता है जो उनके लेनदार मालिकों के लिए हैं, साथ ही साथ हर कर्जदाता का अलग-अलग नाम लिखता है, तथा कर्जदार, कर्जदाता को एक दस्तावेज़ देता है जो उस आय को शामिल होता है जो वह अर्जित करता है, जो इस बात को इंगित करता है कि वह ऋण को चुकाने में असमर्थ है। इसी तरह कर्जदार उन सभी संपत्तियों और जायदाद को लिखता है जिन का वह मालिक होता है, और अदालत उन सभी संपत्तियों और जायदाद को आरक्षित कर लेती है, फिर उसे नीलामी में सब से अधिक कीमत में खरीदने वाले को बेच देती है। तथा कर्जदार इस प्रक्रिया से कुछ जायदाद को अलग कर सकता है, अर्थात् वह बैंक को उसे आरक्षित करने के लिए प्रस्तुत न करे। इस के बाद नीलामी से प्राप्त पैसे को कर्जदाताओं की संख्या पर, प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक कर्जदाता के लिए आधिकारिक राशि के आधार पर वितरित कर दिया जाता है। अक्सर बार ऐसा होता है कि नीलामी से प्राप्त किया गया धन कर्जदाताओं की सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, किन्तु अदालत कर्जदार को सभी कानूनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर देती है यहाँ तक कि वह अपने ऊपर किसी शेष राशि का भुगतान कर सके। पूर्वगामी बातों की रोशनी में, क्या मुसलमान कर्जदार पर उस कर्ज या राशि का (सूद को छोड़ कर) भुगतान करना अनिवार्य है जिस का भुगतान अदालत नहीं कर सकी है, यहाँ तक कि अगर वह संपत्ति और जायदाद जिसे कर्ज चुकाने के लिए लिया गया है, दुकान या बाज़ार के रूप में हो और उस की कीमत उस से कहीं बढ़ कर हो जो नीलामी से प्राप्त हुई है ? और अगर इस दुकान को अदालत के हवाले कर दिया जाता है तो क्या वह सभी ऋणों का उनके अधिकारियों को भुगतान करने के लिए अपने पास पर्याप्त धन बाक़ी रखेगा ? और किसी भी हालत में, प्रत्येक कर्जदार निश्चित रूप से यह जानता है कि जब अदालत के द्वारा उपर्युक्त दिवालियापन के घोषण की कार्रवाई संपन्न होगी तो यही एक मात्र उस की आय होगी।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और स्तुति अल्लाह के लिए योग्य है।



बेहतर होगा कि हम इस्लामी धर्म शास्त्र में हज़्र (प्रतिबंध लगाने) के कुछ प्रावधानों को जान लें, फिर प्रश्न में वर्णित मुद्दे का उल्लेख करें।

शब्दावली में इफ्लास (दिवालियापन) का अर्थ यह है कि : आदमी के ऊपर जो कर्ज़ अनिवार्य है वह उस के धन से अधिक हो।

जब कर्ज़ दार की यह हालत हो जाये, और कर्ज़के भुगतान का समय हो जाये (अर्थात कर्ज़आस्थगित न हो) और लेनदार (कर्ज़ दाता) लोग शासक से उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करें, तो हाकिम के लिए अनिवार्य हो जाता है कि उस की संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दे, और उसे उस में तसर्फ करने से रोक दे, और इस हज़्र (प्रतिबंध) पर कई अहकाम निष्कर्षित होते हैं :

1- कर्ज़ दार को उसकी संपत्ति में तसर्फ करने से रोक देना।

2- इस धन से कर्ज़ दाताओं के अधिकारों का संबंधित होना।

3- जो कर्ज़ दार दिवालिया के पास हूबहू अपना माल पा जाये तो वह दूसरे कर्ज़ दाताओं से उस धन का अधिक हकदार है, जैसेकि उस ने उसे कोई कर्ज़दिया हो, या क्रिस्तों पर कोई सामान बेचा हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जिस ने किसी दिवालिया आदमी या इंसान के पास बेऐनिहि (हूबहू) अपना धन पा लिया तो वह उस का अपने अलावा दूसरे से अधिक हकदार है।" (सहीह बुखारी हदीस संख्या : 2402, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1559)

4- हाकिम के लिए जाइज़ है कि उस की संपत्ति को बेच दे और कर्ज़ दाताओं को उनके अधिकार दे दे।

इस का प्रमाण यह है कि : मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु पर ऋण था, तो उन के कर्ज़ दाताओं ने इस बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात की, तो आप ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके धन को बेच दिया। इस हदीस को बैहकी और हाकिम ने रिवायत किया है, और यह एक मुख्तलफ फीह हदीस है (अर्थात जिसके बारे में मतभेद है), इब्ने कसीर ने "इर्शादुल फकीह" (2/48) में इसे सहीह कहा है, और अल्बानी ने "इर्वाउल गलील" (हदीस संख्या : 1435) में इसे ज़ईफ़ करार दिया है।

तथा दिवालिया के लिए उस के धन से : उस की आवश्यकता की चीज़ों को छोड़ दिया जायेगा जिन से वह उपेक्षा नहीं कर सकता जैसे कि : कपड़े, किताबें, घर जिस में वह रहता है, कारीगरी की मशीनें, आवश्यक जीविका, तिजारत का मूल धन ... आदि।

तथा इन चीज़ों में से जो उसकी ज़रूरत से अधिक है उसे ले लिया जायेगा, और बिना अधिकता (बाहुल्य) के उस के लिए



जो पर्याप्त है उसे छोड़ दिया जायेगा।

कुछ विद्वान (इमाम मालिक और शाफेई) इस बात की ओर गये हैं कि अगर वह ऐसे घर में निवास करता है जिस का वह मालिक है, तो वह घर उस से लेकर बेच दिया जायेगा और उस के रहने के लिए एक घर किराये पर ले लिया जायेगा।

जब हाकिम उस की संपत्ति को बेचेगा, तो उस के कर्ज दाताओं पर बराबरी के साथ नहीं वितरित करेगा, बल्कि उन के ऋण के अनुपात के अनुसार वितरित करेगा, अगर उन में से किसी का एक हजार ऋण है और दूसरे का पाँच सौ तो दोनों के बीच धन को बांट दिया जायेगा : एक हजार वाले को : दो तिहाई, और पाँच सौ वाले को : एक तिहाई।

हाफिज़ इब्ने हजर फत्हुल बारी में कहते हैं :

"जमहूर उलमा (विद्वानों की बहुमत) इस बात की ओर गये हैं कि जिस आदमी का दिवाला निकल जाये तो हाकिम को चाहिए कि उस पर उस की संपत्ति में प्रतिबंध लगा दे यहाँ तक कि उसे बेच कर उस से प्राप्त पैसों को उस के कर्ज दाताओं के बीच उन के कर्जके अनुपात के अनुसार वितरित कर दे।" (इब्ने हजर की बात समाप्त हुई)।

यह उस स्थिति में है जब वह माल सभी कर्ज के लिए पर्याप्त न हो, अगर वह पर्याप्त है तो प्रत्येक कर्ज दाता बिना अधिकता के अपना अधिकार ले लेगा, फिर -अगर कुछ बाकी बचता है तो- बकाया राशि दिवालिया को लौटा देगा, क्योंकि यह उसी का अधिकार है।

अगर उसका धन संपूर्ण ऋण के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है, तो मौजूद धन को कर्ज दाताओं पर वितरित कर दिया जायेगा, और उन के शेष अधिकार उस के ऊपर कर्जबाकी रहेंगे, जब भी वह उन्हें चुकाने पर सक्षम होगा उस पर (बकाया) कर्जका भुगतान करना अनिवार्य हो जायेगा।

देखिये : "अल-मुगनी" (4/265-266), "अल-मजमूअ" (13/278-284) (मुद्रण दारुल फिक्क), "अल-मबसूत" (24/ 156-166) "फत्हुल बारी" (5/66) (मुद्रण दारुल मारिफा - बैरुत, 1379) "अल-मौसूआ अल-फिक्हिय्या" (5/246, 301-322), "अशशर्हुल मुम्ति" (9/78-81).

इस आधार पर, प्रश्न करने वाले का यह कहना कि : क्या मुसलमान कर्ज दार पर उस कर्ज या राशि का भुगतान करना अनिवार्य है जिस का अदालत भुगतान नहीं कर सकी है ?

तो उस का उत्तर यह है कि : जी हाँ, वह उस के ज़िम्मे कर्जबाकी रहेगा यहाँ तक कि वह उस का भुगतान करने पर सक्षम हो जाये।

इब्ने कुदामा रहिमहुल्लाह "अल-मुगनी" (6/581) में कहते हैं :

"जब दिवालिया के धन को बांट दिया जाये और उस के ऊपर कुछ कर्ज बाकी रह जाये, और उसक पास कोई कारीगरी (व्यवसाय) हो, तो क्या हाकिम उसे अपने आप को किराये पर देने पर मजबूर करेगा ताकि वह अपने कर्ज की अदायगी कर सके ? इस के बारे में दो मत हैं ..." (इब्ने का कुदामा की बात समाप्त हुई).

फिर उन्होंने ने दोनों कथनों का उनके प्रमाणों सहित उल्लेख किया है, और उन में से किसी के राजेह (श्रेष्ठ) होने को स्पष्ट नहीं किया है, किन्तु उनकी बात से प्रत्यक्ष होता है कि वह इस कथन की ओर झुकाव रखते हैं कि हाकिम उसे काम करने पर मजबूर करेगा ताकि वह अपने कर्जका भुगतान कर सके।

दोनों कथनों के आधार पर : इस से यह पता चलता है कि कर्ज दाताओं का बचा हुआ अधिकार उस के ज़िम्मे लगा रहता है।

फिर इब्ने कुदामा (6/582) कहते हैं :

"यदि उस के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया जाये (अर्थात उस के धन को बेचने के बाद) तो किसी भी व्यक्ति के लिए उस से मांग करने और उसके पीछे लगने का अधिकार नहीं है यहाँ तक कि वह किसी धन का मालिक हो जाये ..."।

इस से भी पता चलता है कि कर्ज दाताओं का जो हक बाकी रह गया है वह समाप्त नहीं होगा, बल्कि उस के ऊपर उधार रहेगा।

तथा प्रश्न करने वाले का यह कहना कि : यहाँ तक कि अगर वह संपत्ति और जायदाद जिसे कर्ज चुकाने के लिए लिया गया है एक दुकान या बाज़ार के रूप में हो और उसकी कीमत नीलामी से प्राप्त धन से कहीं बढ़ कर हो ?

तो इसका उत्तर यह है कि :

हाकिम पर अनिवार्य यह है कि वह दिवालिया की संपत्ति को उसी के समान कीमत पर ही बेचे, उस से कम मूल्य पर न बेचे।

देखिये : "अल-मौसूआ अल-फिक्हिय्या" (5/318).

जबकि यह मामला गैर इस्लामी देश में देखा जा रहा है, तो यह बात स्वभाविक है कि उन के अपने कानून और व्यवस्था हों जिन की ओर वे फैसला के लिए जाते हो और उन के द्वारा वे फैसला करते हों, और वे सर्वशक्तिमान अल्लाह के द्वारा निर्धारित किए गए कानून के विरुद्ध हों।

अतः : मुसलमान के लिए उचित नहीं है कि वह उन देशों में निवास करने में सुस्ती और काहिली से काम ले, जब तक कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य (मजबूर) न हो, क्योंकि वह उन कानूनों के अधीन होगा, वह उसे चाहे या इंकार करे।



चेतावनी :

सूद से संबंधित ऋण को चुकाना जाइज़ नहीं है, उस पर केवल मूल संपत्ति का भुगतान करना वाजिब है, सिवाय इस के कि उसे भुगतान करने पर मजबूर किया जाये और कारावास की धमकी दी जाये, तो उस पर कोई हरज (आपत्ति) की बात नहीं है, और वह मजबूर समझा जायेगा, लेकिन उस के लिए वाजिब है कि सूद पर कर्ज लेने से वह अल्लाह के सामने तौबा करे।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।